न्यायालय – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र. (आप.प्रक.क. :- 28 / 2012)

(संस्थित दिनांक :- 24 / 01 / 2012)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद जिला-भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन।

// विरूद्ध //

- केदार सोनी पुत्र मन्टूलाल सोनी उम्र 52 वर्ष 01.
- संतोष सोनी पुत्र बालकिशन सोनी उम्र 44 वर्ष 02.
- मुकेश सोनी पुत्र बालकिशन सोनी उम्र 41 वर्ष 03.
- कुलदीप सोनी पुत्र बालकिशन सोनी उम्र 37 वर्ष 04.
- सत्यम सोनी पुत्र संतोष सोनी उम्र 23 वर्ष 05. निवासीगण-वार्ड क्रमांक 12 बडा बाजार गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभ्रियक्तगण।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 20/12/2016 को घोषित)

अभियुक्तगण केदार, संतोष, कुलदीप, सत्यम एवं मुकेश पर भा.द.सं. की धारा :- 294, 147, 323 / 149, 324 / 149, 336 एवं 506 भाग ।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक : 03 / 01 / 2012 को रात्रि लगभग 09:30 बजे वार्ड क्रमांक 12 बड़ा बाजार गोहद में, जो कि एक लोकस्थान के समीप एक स्थान है, फरियादी हिमांश् को मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठियों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी हिमांशु एवं आहत सुनील की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त कुलदीप ने दॉतो से सुनील को काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सहअभियुक्तगण ने लाठी एवं पत्थरों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से पत्थर फैंककर फरियादीगण का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया एवं फरियादी हिमांशु को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 03 / 01 / 2012 को रात्रि 03.

लगभग 09:30 बजे वार्ड क्रमांक 12 बड़ा बाजार गोहद में, आरोपीगण द्वारा आहत हिमांशु से गाली—गलौच करने, उसकी मारपीट करने, सुनील को दॉतों से काटकर उपहित कारित करने, पत्थर फैंककर मारने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फिरयादी गिर्राज द्वारा द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 05/2012 अन्तर्गत धारा 147, 294, 323, 336 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फिरयादी सुनील के मेडीकल परीक्षण में मानव दॉतों से काटने की चोट होने का उल्लेख होने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फिरयादी गिर्राज किशोर, आहतगण हिमांशु एवं सुनील, साक्षी रमाकान्त शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण केदार, संतोष, कुलदीप, सत्यम एवं मुकेश पर भा.द.सं. की धारा :— 294, 147, 323 / 149, 324 / 149, 336 एवं 506 भाग ।। का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी / आहतगण हिमांशु एवं सुनील के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323 / 149 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 03/01/2012 को रात्रि लगभग 09:30 बजे वार्ड कमांक 12 बड़ा बाजार गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठियों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा किया?
- 02. क्या आरोपी कुलदीप ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आहत सुनील की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त कुलदीप ने दॉतो से सुनील को काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की?
- 03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से पत्थर फैंककर फरियादी का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दू कमांक :– 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

फरियादी गिर्राज किशोर अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है 08. कि वह आरोपीगण मुकेश, संतोष, केदार, सत्यम एवं कुलदीप सोनी को जानता है। ६ ाटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 17/10/2016 से लगभग तीन-चार साल पहले की होकर शाम के सात-आठ बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसके भाई सुनील के लड़के हिमांशु ने कुलदीप की दुकान पर दस सोने की मोहरे बेच दी थी। जब उन लोगों को पता चला तो वह, सुनील एवं भतीजा हिमांशु, रमाकान्त एवं हरिश्चन्द्र सभी लोग कुलदीप के घर गये। वहाँ पर उन लोगों की चर्चा हुई थी। उसके बाद वह लोग थाने गये थे, जहाँ उन लोगों के बीच राजीनामा हो गया था। वर्तमान में हिमांशू एक वर्ष से घर छोड़कर कहीं चला गया है, जिसके बारे में उसे एवं उसके पिता सुनील ने काफी मालूम किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके द्वारा ध ाटना की लेखबद्ध कराई गई रिपोर्ट प्र.पी.10 है, जिसके ए स ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.04 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी गिर्राज किशोर अ.सा.04 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक : 03/01/2012 को रात्रि लगभग 09:30 बजे वार्ड कमांक 12 बडा बाजार गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठियों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा कारित करने, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आहत सुनील की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाने और उसके अग्रसरण में अभियुक्त कुलदीप द्वारा दॉतो से सुनील को काटकर स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से पत्थर फैंककर फरियादी का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत फरियादी गिर्राज किशोर अ.सा.04 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना सूचना प्र.पी.10 तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.11 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

09. आहत सुनील अ.सा.02 एवं हिमांशु शर्मा अ.सा.05 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ६ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक : 03/01/2012 को रात्रि लगभग 09:30 बजे वार्ड कमांक 12 बड़ा बाजार गोहद में, सहअभियुक्तगण के

साथ मिलकर लाठियों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा कारित करने, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आहत सुनील की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाने और उसके अग्रसरण में अभियुक्त कुलदीप द्व ारा दाँतों से सुनील को काटकर स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से पत्थर फैंककर फरियादी का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

- 10. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत गिर्राज किशोर, सुनील एवं हिमांशु के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी गिर्राज अ.सा.04, सुनील अ. सा.02 एवं हिमांशु शर्मा अ.सा.05 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है। उक्त राजीनामे के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 एवं विवेचक शिव कुमार शर्मा अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की विवेचना नहीं की जा रही है।
- 11. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक : 03/01/2012 को रात्रि लगभग 09:30 बजे वार्ड क्रमांक 12 बड़ा बाजार गोहद में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठियों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा कारित कर बलवा कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आहत सुनील की मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त कुलदीप ने दॉतो से सुनील को काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से पत्थर फैंककर फरियादी का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया।
- 12. अभियोजन आरोपीगण केदार, संतोष, कुलदीप, सत्यम एवं मुकेश के विरूद्ध भा. द.सं. की धारा 147, 336 एवं 324 / 149 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 147, 336 एवं 324 / 149 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 13. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद